ई-मेल
संख्या-आई/1244626/9-8002(099)/5/2025

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 02 नगर निकायों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश की नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैपटेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एल0ई0डी0 लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क, खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र, गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उददेश्य से शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017 टीसी, दिनांक 21 मार्च, 2018 (यथा संशोधित दिनांक 05.01.2019) द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है।

2- पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में में प्राविधानित धनराशि में से जनपद-कौशाम्बी की नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा एवं जनपद-जालौन की नगर पंचायत एट द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष धनराशि रू. 700.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 350.00 लाख (रूपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र) को निम्नानुसार अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा, जनपद-कौशाम्बी ।

क्र. सं.	कार्य/मद	कार्य/मद की प्रस्तावित लागत की धनराशि (लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1.	वार्ड नं0-2 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर मजरा-दमद का पूरा में छंगू लाल के घर से बच्चालाल के घर तक सी0सी0 रोड व आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	22.20		

2.	वार्ड नं0 2 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर मजरा-रतन का डेरा में नन्हू सरोज के घर से पंचम सरोज के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	12.61		
3.	वार्ड नं0 3 मुसरियादीन नगर में रामपाल के घर से इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प तक आर.सी.सी. कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	29.19		
4.	वार्ड नं0 3 मुसरियादीन नगर में मौर्या की चक्की से इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प तक आर.सी.सी. कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	17.55		
5.	वार्ड नं0 5 गांधी नगर मजरा-द्रूनी तिवारी का पूरा में महेश के घर से तालाब तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	17.27		
6.	वार्ड नं0 5 गांधी नगर मजरा-द्रूनी तिवारी का पूरा में रामू के घर से पश्चिमी तालाब तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	14.94		
7.	वार्ड नं0 5 गांधी नगर में पूरब शरीरा नहर के पार 09 मी0 सिंगल आर्म पोल सहित 120 वॉट एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन का कार्य।	38.65		
8.	वार्ड नं0 8 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में मजरा-दीदीतारा में जगजीवन सरोज के घर से नथन सरोज के घर तक आर.सी.सी. कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	12.27		
9.	वार्ड नं0 8 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में शारदा केशरवानी के घर से चांदेराई तिराहा मोड तक आर.सी.सी. कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	15.15		
10	वार्ड नं0 8 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में 08 सीट सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य।	21.82		
11	वार्ड नं0 11 लोकमान्य तिलक नगर में पूरब-पश्चिम शरीरा से सुरेश कौशल के घर से इकबाल के घर होते हुये सुरेश के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य।	24.04		
12	वार्ड नं0 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में 08 सीट सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य।	21.82		
13	वार्ड नं0 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में 07 मी0 पोल पर 75-90 वॉट एल.ई.डी. लाइट का अधिष्ठापन कार्य।	31.56		
14	वार्ड नं0 12 गौतम बुद्ध नगर में में कोल्हुअन थोक में जवाहर साहू के घर से भुंआ तालाब तक आर.सी.सी. कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	15.55		
15	वार्ड नं0 14 सरदार पटेल नगर मजरा-सरपतही में फूल सिंह बीमा वाले के घर से शंकर जी के मंदिर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य।	11.31		
16	वार्ड नं0 14 सरदार पटेल नगर मजरा-सरपतही में रघुराज के घर से पक्की सड़क तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य।	26.76		
17	वाड नं0 14 सरदार पटेल नगर प्राथमिक विद्यालय पक्की सड़क से गोराजू मुख्य मार्ग तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	27.57		
18	नगर पंचायत पूरब-पश्चिम शरीरा सीमान्तर्गत मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 400 नगर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट (CAT AAA) 75-90 वॉट सप्लाई कार्य।	41.77		

	कुल योग	402.03	400.00	200.00
	2-नगर पंचायत एट, जनपद-जालौन।			
क्र. सं.	कार्य/मद	कार्य/मद की प्रस्तावित लागत की धनराशि (लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1	नगर पंचायत एट वार्ड नं0 14 में ईसमाईल के मकान से प्रभा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13.68		
2	नगर पंचायत एट में वार्ड नं0 04 में कोंच रोड से रामकुमार पांचाल के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य।	13.98		
3	नगर पंचायत एट में वार्ड नं0 04 में कोंच रोड़ से सन्तोष वर्मा के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य।	11.96		
4	नगर पंचायत एट में वार्ड नं0 04 कोंच रोड से रामजी पण्डित के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य।	18.50		
5	नगर पंचायत एट में वार्ड नं0 07 में मिथला के मकान से कल्लू के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य।	18.26		
6	नगर पंचायत एट में वार्ड नं0 07 गुडडी के मकान से अमीटा वाले चच्चा के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य।	16.32		
7	नगर पंचायत एट में वार्ड नं0 04 में रामनारायण के मकान से पहलवान के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	10.53		
8	नगर पंचायत एट में न0पं0 में वार्ड नं0 03 में अमृत उद्यान के पास 05 सीट शौचालय का निर्माण कार्य।	20.31		
9	न0पं0 एट में बिजली पावर हाउस से मुन्ना महाराज तक 09 मीटर पोल 110 वॉट एल0ई0डी0 लाईट सहित अधिष्ठापन कार्य।	38.87		
10	न0पं0 एट में बिजली पावर हाउस के दूसरी ओर से लेकर प्रियाशरण विश्वकर्मा के मकान तक 09 मीटर पोल 110 वॉट एल0ई0डी0 लाईट सहित अधिष्ठापन कार्य।	38.87		
11	न0पं0 एट में कोंच रोड से अम्बेडकर पार्क तक 09 मीटर पोल 110 वॉट एल0ई0डी0 लाईट सहित अधिष्ठापन कार्य।	15.01		
12	न0पं0 एट में कोंच रोड से अन्त्येष्टि स्थल तक 09 मीटर पोल 110 वॉट एल0ई0डी0 लाईट सहित अधिष्ठापन कार्य।	15.01		
13	न0पं0 एट में जे0डी0सी0 बैंक से एम0आर0एफ0 सेन्टर डम्पिंग तक 09 मीटर पोल 110 वॉट एल0ई0डी0 लाईट सहित अधिष्ठापन कार्य।	35.76		
14	न0पं0 में कान्हा गौशाला में 10 नग सोलर इंटीग्रेटिड लाईट तथा सोलर पानी पम्प, सोलर लाईट अधिष्ठापन/आपूर्ति कार्य।	12.28		
15	न0पं0 एट में 01 नगर सीवर सेक्शन मशीन (क्षमता 3500ली0) आपूर्ति कार्य।	11.96		

16	न0पं0 एट में विभिन्न स्थानों पर 60ली0 क्षमता स्टेनलेस स्टील ट्वीन डस्टविन 40 नगर आपूर्ति कार्य।	10.01		
	कुल योग	301.31	300.00	150.00
	महायोग		700.00	350.00

(रूपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)

3- **नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध :-**

(1) उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017 टीसी, दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-47/नौ-8-2019-53ज/2017 टी0सी0, दिनांक 05-01-2019 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देश के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

(2) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई 2014 के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(3) यदि निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को संबंधित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कराये जाने वाले कार्य निर्गत शासनादेश सं0-1125/9-9-2025-45ज/2021, दिनांक 04-06-2025 में विहित प्राविधानों के अनुसार कराये जायेंगे।

(5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं तो संबंधित अधिशासी अधिकारी/सबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।

(6) नगर निकायों द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सड़कों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07-06-2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए संबंधित ठेकेदार अवर अभियन्ता अधिशासी अधिकारी नागर निकाय के अध्यक्ष चयनित आर्किटेक्ट/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब होने अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तों में किया जायेगा।

(9) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय। इसके अतिरिक्त कार्ययोजना

के कार्यो में यदि कोई स्थान/कार्य परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना निकाय द्वारा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(13) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे।

(14) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/संबंधित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की जांच कराकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/ महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2026 तक होगी।

(16) जिन निकायों की कार्ययोजना में इण्टरलॉकिंग से संबंधित कार्य सम्मिलित थे, उनको परिवर्तित करते हुए उनके स्थान पर सी.सी. रोड का निर्माण कराया जायेगा। यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है, तो निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों अथवा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से वहन किया जायेगा।

(17) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को नागर निकाय द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर अंतरित की जायेगी। निकायों का यह दायित्व होगा कि वे उक्त योजना के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाकर कैंसिल्ड चेक सहित तत्काल निदेशक, नगरीय निकाय को उपलब्ध करायेगें।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 3,50,00,000/- (रूपये तीन करोड पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखाशीर्षक 2217031930500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9-263-X-2025-26 दिनांक: 17-02-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
UDAI BHANU TRIPATHI
Date: 19-02-2026
12:56:01

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6. अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय को इस आशय से प्रेषित कि निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा योजना की धनराशि को निकाय के खाते में हस्तान्तरित किये जाने हेतु योजना के लिए

राष्ट्रीय बैंक में खोले गये बचत खाते के पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ 03 दिन के भीतर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव ।